

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-01/2015

/कृ०, पटना, दिनांकमई, 2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजय कुमार चौधरी,
मेसर्स ऑरटेक्ट ऑरगेनिक्स,
ए-38, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
बेला, मुजफ्फरपुर।

विषय :- कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-22 दिनांक 24.06.2009 वैधता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन प्रपत्र IV, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजात तथा उप कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-22 दिनांक 24.06.2009 वैधता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Methyl Parathion 2% DP	6	Fenvalerate 0.4% DP
2	Malathion 5% DP	7	Carbofuran 3% CG
3	Phorate 10% CG	8	Butachlor 50% EC
4	Cypermethrin 25% EC	9	Dimethoate 30% EC
5	2,4 D Sodium Salt 80 % WP	10	Zinc Phosphide 80% w/w

2. केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों का ही विनिर्माण कर सकेंगे। अन्य कीटनाशियों का विनिर्माण सर्वथा वर्जित होगा।

3. आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों के अनुकूल किया जाय।

4. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र का अनुपालन आवश्यक होगा तथा इनके द्वारा अमानक अथवा प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण तुरंत बंद कर देना होगा।

5. विनिर्माण अनुज्ञप्ति में वर्णित कीटनाशी का विपणन/बिक्री उन्हीं फसलों के लिए की जाएगी जिन फसलों के लिए CIB & RC द्वारा Label claim की स्वीकृति दी गई है। किसानों के बीच उक्त कीटनाशी के उपयोग की जानकारी समग्र रूप से दे दी जाय।

6. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को भी इसकी प्रतियां दी जाय।

7. मूल अनुज्ञप्ति 22 दिनांक 24.06.2009 मूल रूप में संलग्न है। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक ...16... , मई, 2015

ज्ञापांक 2249

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।